झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 30 माघ, 1937 [श0] / 19 फरवरी, 2016 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
उत्तर संलग्न 193–	श्रनि– 17	श्री अरूप चटर्जी	वकाया राशि का भुगतान	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	12.02.2016
194–	स– 09	श्री आलमगीर आलम	डायलिसिस की सुविधा मुहैय्या कराना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
195–	श्रनि– 10	श्री गणेश गंझू	आई0टी0आई संस्थान का निर्माण।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016
196–	श्रनि– 12	श्री प्रदीप यादव	पठन–पाठन शुरू कराना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016
197–	स– 07	श्रीमती जोबा मांझी	स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
198–	स– 01	श्री योगेन्द्र प्रसाद	अनुमण्डलीय अस्पताल का स्थानांतरण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
199–	श्रनि– 23	श्री अमित कुमार	खाता की जाँच एवं प्रतिवेदन देना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	14.02.2016
200–	स– 52	श्री अमित कुमार	संशोधित विज्ञापन प्रकाशित करना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	14.02.2016
201–	स– 06	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	नियमितिकरण करना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
202—	स— 15	श्री बिरंची नारायण	मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
203—	श्रनि— 03	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	प्रशिक्षण प्रारंभ कराना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	13.02.2016
204—	श्रनि— 11	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	मुआवजा देना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016
205—	रा— 12	श्री साधु चरण महतो	अतिक्रमण से मुक्त कराना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
206—	रा— 17	श्री मनोज कुमार यादव	मुआवजे का भुगतान	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
207—	विधि— 03	श्री अशोक कुमार	समुचित अधिकार देना।	विधि	14.02.2016
208—	स— 44	श्री अंनत कुमार ओझा	सर्जन एवं महिला चिकित्सक का पदस्थापन	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
209—	रा— 02	श्रीमती विमला प्रधान	स्टाम्प शुल्क निर्धारित करना	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
210—	स— 21	श्री गणेश गंझू	समस्याओं का निराकरण	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
211—	रा— 16	श्री रामकुमार पाहन	पट्टा उपलब्ध कराना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
212—	स— 16	श्री आलोक कु0 चौरसिया	मेडिकल कॉलेज की स्थापना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
213—	स— 08	श्री आलमगीर आलम	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
214—	स— 31	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मेडिकल सीट में बढोतरी।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
215—	रा— 01	श्री अशोक कुमार	भूमि का अधिग्रहण करना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
216	स— 40	डॉ0 इरफान अंसारी	अस्पताल भवन का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
217—	स— 43	श्री अनंत कुमार ओझा	मरीजो का समुचित इलाज।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
218—	स— 20	श्री पौलुस सुरीन	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
219—	स— 23	श्री दशरथ गागराई	अस्पताल का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
220—	रा— 04	श्री राधाकृष्ण किशोर	जमीण को मुक्त कराना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
221—	रा— 03	श्रीमती विमला प्रधान	स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा स्टाम्प विक्री करना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
222—	रा— 05	श्री जगरनाथ महतो	निबंधन कार्य प्रारंभ कराना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
223—	श्रनि— 09	श्री कुणाल षड़ंगी	नामांकन कार्य चालू कराना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016
224—	स— 35	श्री सुखदेव भगत	सदर अस्पताल का दर्जा देना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
225—	श्रनि— 02	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आई0टी0आई0 कॉलेज में शिक्षण कार्य प्रारंभ कराना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	12.02.2016
226—	स— 22	श्री निरल पुरती	अधूरे भवनों का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
227—	श्रनि— 18	श्री विदेश सिंह	आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	12.02.2016
228—	रा— 23	श्री प्रदीप यादव	आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
229—	स— 03	श्रीमती मेनका सरदार	चिकित्सा सुविध प्रदान करना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
230—	स— 13	श्री राज सिन्हा	सेवानिवृति की आयु बढ़ाना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
231—	स— 36	श्री ताला मराण्डी	चिकित्सक का पदस्थापन।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
232—	रा—	18 श्री रामकुमार पाहन	आरोपियों पर कार्रवाई।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
233—	रा—	07 श्री योगेश्वर महतो	लंबित आवेदन का निष्पादन।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
234—	स—	29 श्री नागेन्द्र महतो	चिकित्सको का पदस्थापन।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
235—	रा—	13 श्री साधु चरण महतो	कॉलेज को सरकारी जमीन देना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
236—	श्रनि—	08 श्री आलोक कु0 चौरसिया	आई0टी0आई0प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016
237—	स—	10 श्री रबीन्द्र नाथ महतो	सेवा स्थायी करना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
238—	स—	50 श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	14.02.2016
239—	रा—	25 श्री फूलचंद मंडल	खेती योग्य जमीन को बचाना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
240—	स—	04 श्री जगरनाथ महतो	ए0एन0एम0 तथा जी0एन0एम0 का स्थायीकरण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
241—	रा—	19 श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	प्रमाण–पत्र निर्गत एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
242—	रा—	21 श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	निबंधन कार्य चालू कराना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
243—	स—	27 श्री राजकुमार यादव	डॉक्टर का पदस्थापन।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
244—	स—	14 श्री कुणाल षड़ंगी	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण एवं चिकित्साकर्मी की नियुक्ति।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	13.02.2016
245—	श्रनि—	01 श्रीमती मेनका सरदार	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	12.02.2016
246—	स—	33 श्री अरूप चटर्जी	कर्मचारी संघ की मांगो पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016

01.	02.		03.	04.	05.	06
247—	रा—	26	श्री फूलचंद मंडल	ऑनलाईन की व्यवस्था।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
248—	स—	37	डॉ0 इरफान अंसारी	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संचालन	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
249—	स—	49	श्री मनोज कुमार यादव	अधूरा कार्य पूर्ण कराना।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	14.02.2016
250—	स—	46	श्री ढुलू महतो	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	14.02.2016
251—	रा—	22	श्री प्रकाश राम	विसंगति को दूर करना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
252—	श्रनि—	13	श्री भानु प्रताप शाही	शिक्षण सत्र प्रारंभ करना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016
253—	स—	24	श्री दशरथ गागराई	स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
254—	रा—	24	श्री ताला मराण्डी	डाक बंगलो का जीर्णोद्धार।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार।	12.02.2016
255—	स—	32	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	सदर अस्पताल का संचालन।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
256—	स—	28	श्री पौलुस सुरीन	संवेदक एवं दोषी अधिकारी पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	12.02.2016
257—	श्रनि—	19	श्री जानकी प्र0 यादव	प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	12.02.2016
258—	स—	51	श्री राज सिन्हा	छात्रावास की मरम्मती एवं निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परिवार कल्याण	14.02.2016
259—	श्रनि—	22	श्री ढुलू महतो	प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	14.02.2016
260—	श्रनि—	04	श्री योगेश्वर महतो	आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण।	श्रम नि0प्र0 एवं कौशल विकास	11.02.2016

राँची,
दिनांक— 19 फरवरी, 2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञाप सं0—प्रश्न— 07/2015—952/वि0स0, रांची, दिनांक— 16/2/2016

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवधारी 16/2/16

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0—प्रश्न— 07/2015—952/वि0स0, रांची, दिनांक— 16/2/2016

प्रतिः— मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवधारी 16/2/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉची।

ज्ञाप सं0—प्रश्न— 07/2015—952/वि0स0, रांची, दिनांक— 16/2/2016

प्रतिः— ऑनलाईन शाखा, कार्यावाही शाखा, आश्वासन शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरवधारी 16/2/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रॉची।

सुभाष/—

16/02/16

193

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–17 का उत्तर :–

क्रं0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–17	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेगें कि –	
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के एग्यारकुण्ड प्रखण्ड स्थिति बिहार फायर ब्रिक्स एण्ड पोट्रीज प्राइवेट लि0, मालुकसुन्ध (मुगमा) वर्ष–1991 से यथा रिलायंस फायर ब्रिक्स एण्ड पोट्रीज कम्पनी लि0 वर्ष 1995 से बन्द है, परन्तु यहाँ कार्यरत रहे मजदूरों को दिनांक–04.02.2016 तक भी भविष्य निधि एवं उपादान राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। संबंधित दोनों कारखाना बन्द है। उक्त कारखानों में कार्यरत रहे श्रमिकों को भुगतान संबंधी कोई मामला उप श्रमायुक्त–सह–नियंत्री प्राधिकार, बोकारो के समक्ष लंबित नहीं है। भविष्य निधि राशि के भुगतान संबंधी आवश्यक कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन, राँची को सहायक श्रमायुक्त, धनबाद के पत्रांक–237 दिनांक 16.02.16 द्वारा अनुरोध किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन मजदूरों के उक्त बकाया राशियों का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपादान भुगतान–सह–नियंत्री प्राधिकार के समक्ष वाद दायर किए जाने पर उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांकः– 01/श्रमा0 डी0 02–06/2016 श्र0नि0 286 राँची दिनांक 18/2/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–710, दिनांक–12.02.2016 के अनुपालन में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

Sudhir Singh<Drafts<Lok Sabha

(194)

श्री आलमगीर आलम, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–09 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला स्तर पर सदर अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा नहीं रहने से किडनी के मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2-	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदर अस्पताल, पाकुड़ सहित राज्य के जिला स्तर पर सभी सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा मुहैय्या करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	राज्य के आठ (8) जिलों में डायलिसिस सेन्टर की स्थापना की जा रही है। (गुमला, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, दुमका, हजारीबाग, बोकारो, चाईबासा)

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07–04/16-661(57) राँची, दिनांक– 18-2-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 675 दिनांक– 12-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

256
18.2.16

195

श्री गणेश गंझू, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–10 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री गणेश गंझू, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान सभा के सिमरिया, टंडवा, इटखोरी, पत्थल गड्डा, लावालौंग, मयुरहंड एवं गिधौर प्रखंड में एक भी सरकारी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) नहीं है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि टण्डा प्रखंड में एन0टी0पी0सी0 के अलावा मगध एवं आम्रपाली जैसे कोयला खदान खुल रहे है;	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि लावालौंग एवं गिद्वौर प्रखंड अति पिछड़ा है जहॉ के युवक–युवतियों को कौशल विकास से जोडने की योजना है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लावालौंग एवं गिधौर में एक–एक सरकारी आई0टी0आई0 संस्थान खोलने का विचार रखती है यदि हॉ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष–2016–17 में लावालौंग एवं गिधौर प्रखंड में सरकारी आई0टी0आई0 का निर्माण राशि की उपलब्धता के आधार पर सरकार विचार करेगी।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–09/2016– 256 रॉची, दिनांक :– 18.2.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–359 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

257
18.2.16

196

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–12 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि संथालपरगणा प्रमंडल के दुमका जिला में आई0टी0आई सरैयाहाट एवं गोड्डा जिला में आई0टी0आई0 पोडैयाहाट तथा आई0टी0आई0 गोड्डा का भवन बनकर तैयार है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तीनों आई0टी0आई0 में पठन–पाठन प्रारंभ नहीं होने से स्थानीय छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रहे है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त संस्थानों में पठन पाठन शुरू कराना चाहती है यदि हॉ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	13वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में नवनिर्मित आई0टी0आई0, सरैयाहाट(दुमका), पोडैयाहाट(गोड्डा) एवं आई0टी0आई, गोड्डा का भवन बनकर तैयार है। उक्त तीनों आई0टी0आई0 को सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–10/2016– 257 रॉची, दिनांक :– 18.2.16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–355 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में 200 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

(197)

श्रीमती जोबा मॉझी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 07 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सोनुवा प्रखण्ड के बारी पंचायत में स्थित काड़ीमाटी में सरकारी स्वास्थ्य उप केन्द्र का भवन बन कर तैयार है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन अबतक नहीं होने से ग्रामीण जनता स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित है,		आंशिक स्वीकारात्मक । पुराने भवन के माध्यम से ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार जनहित के तहत् सोनुवा प्रखण्ड के बारी पंचायत में अवस्थित काड़ीमाटी स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		काड़ीमाटी स्वास्थ्य केन्द्र को मॉडल स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में चयनित किया गया है । ऐसी स्थिति में नवनिर्मित भवन को मॉडल स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में शीघ्र संचालित कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 08/16– 159(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 741/वि0स0, दिनांक– 13.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

198

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–01 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री योगेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला गोमियाँ प्रखण्ड के सरहचिया पंचायत में अवस्थित अनुमण्डलीय अस्पताल तेनुघाट, जो तेनुघाट गोमिया मुख्य पथ से 4 कि०मी० सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल मुख्यपथ तथा निकटवर्ती शहर बाजार से दूर होने के कारण आपातकालीन स्थिति में रोगियों को ले जाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि अनुमण्डलीय अस्पताल को साड़म बाजार के नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित करने से आम जनता को काफी सुविधा होगा ;	अस्वीकारात्मक। साड़म बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 बेड का अस्पताल संचालित है एवं ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। चुँकि अनुमण्डलीय अस्पताल तेनुघाट 30 बेड का अस्पताल संचालित है। जहाँ पर पोस्टमॉर्टम हाउस सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य संपादन किया जाता है। जिसे साड़म बाजार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुमण्डलीय अस्पताल, तेनुघाट को स्थानांतरण करने में कठिनाई होगी।
4-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुमण्डलीय अस्पताल, तेनुघाट को साड़म बाजार के नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07–05/16-64(15) राँची, दिनांक– 18-2-16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 672 दिनांक– 12-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

श्री अमित कुमार माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–23 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	प्रो0 अमित कुमार , माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–23	श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेगें कि –	
1	क्या यह बात सही है कि हिण्डालको फैक्ट्री में कार्यरत ठेका मजदूरों के भविष्य निधि खाता के संबंध में जॉच हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, राँची के प्रवर्त्तन पदाधिकारी श्री राकेश रंजन सहायक तथा श्री ऋतु राज कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही हे कि खण्ड (1) में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा अभी तक मजदूरों के भविष्य निधि खाता के संबंध में कोई जॉच नहीं किया गया है तथा इसके संबंधित प्रतिवेदन ही अभी तक नही दिया गया है?	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या हिण्डालको फैक्ट्री में कार्यरत ठेका मजदूरों के भविष्य निधि खाता के संबंध में जॉच करने एवं खण्ड–(1) में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन नहीं देने के लिए इनपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, के पत्रांक–160216004, दिनांक–16.02.2016 राँची द्वारा सूचित किया गया है कि खण्ड (1) में वर्णित पदाधिकारी द्वारा संस्थान के कर्मियों के भविष्य निधि खाता के संबंध में दिनांक–28.08.2015 को जॉच करायी गयी है। तत्पश्चात् दिनांक 14.12.15 को माननीय विधायक के प्रतिनिधि श्री कैलाश प्रसाद, निजी सचिव एवं श्री राजीव रंजन, निजी सहायक के समक्ष मामले की जाँच करायी गयी, जाँच के दौरान ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है कि संस्थान मे कार्यरत 3000 ठेका कर्मियों की भविष्य निधि संख्या प्राप्त नहीं है एवं उनकी भविष्य निधि की रकम जमा नहीं की गई है। दिनांक 14.12.15 को माननीय विधायक के प्रतिनिधियों द्वारा 95 कर्मियों की सूची जाँच दल को उपलब्ध करायी गयी, जिनके बारे में कहा गया है कि इन कर्मियों का भविष्य निधि संस्थान द्वारा नहीं काटा गया है। उक्त सूची को जाँच दल द्वारा संस्थान के संबंधित अधिकारियों को सौंपा गयी है तथा वर्णित सभी 95 कर्मियों की भविष्य निधि की पात्रता से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ,राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांकः– 02 / श्रमा0 का0 (वि0स0)1 / 2016 श्र0नि0 285 राँची दिनांक 18/02/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–758, दिनांक–14.02.2016 के अनुपालन में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

(अलखदेव प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

Rubi<Lok Sabha

282

श्री अमित कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–52 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री अमित महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 वि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि रिनपास के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन विगत दस वर्षो में पाँच बार प्रकाशित किया गया है तथा प्रत्येक बार अर्हता अलग–अलग रखी गयी है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित प्रकाशित विज्ञापन MCI Act 1956 एवं Mental Health Act, 1987 तथा सर्वोच्च न्यायालय के WP (Civil) no आदेश के अनुरूप प्रकाशित नहीं किया गया है,	प्रकाशित विज्ञापन में MCI Act 1956, Mental Health Act, 1987 तथा सर्वोच्च न्यायालय के WP (Civil) no-339/1986 आदेश को ध्यान में रखा गया है।
3. क्या बात सही है कि रिनपास निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित विज्ञापन की अर्हता तैयार करने के लिए जो कमिटी बनीं उसमें मानसिक आरोग्यशाला (रिनपास) रूल { WP (Civil) no. 339/1986 } के अनुसार Permanent Visitors में से किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया था,	स्वीकारात्मक। Permanent Visitors को सम्मिलित करने की अनिवार्यता नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में उल्लेखित ACTS के तहत् एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित विज्ञापन रद्द करते हुए संशोधित विज्ञापन प्रकाशित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में उल्लेख कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–12/ रिनपास (वि0स0)–05–01/2016 – 18(12) स्वा0/राँची/दिनांकः 17/02/2016

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 752 दिनांक 14.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.2.16
(फ्लोरेंस तिर्की)
सरकार के अवर सचिव।

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में शीत श्रृंखला संधारक के पद पदवर्ग समिति से स्वीकृत है जिसके विरूद्ध कई लोग अनुबंध में कार्यरत है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। एन0एच0एम0 (National Health Mission) के तहत अनुबंध पर शीत श्रृंखला संधारक (Cold Chain Handler) कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि शीत श्रृंखला संधारक प्रतिरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के पद है ;	स्वीकारत्मक।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में अनुबंध पर कार्यरत शीत श्रृंखला संधारक कर्मी को नियमितीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एन0एच0एम0 के तहत अनुबंध पर कार्यरत शीत श्रृंखला संधारक के नियमितीकरण का कोई विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–19/2016 37(21) राँची, दिनांकः 18.02.21

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 652/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2
सरकार के उप सचिव

202

6

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–15 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री बिरंची नारायण, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है, जहाँ 2 स्टील प्लांट, 6 कोल वाशरी, करीब आधा दर्जन थर्मल पावर प्लांट एवं अनेको छोटे– बड़े कल–कारखाना स्थापित है और यहाँ लम्बे समय से एक मेडिकल कॉलेज बनाने की माँग की जाती रही है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बोकारो जेनरल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने संबंधी स्वीकृति प्रस्तावित है ;	स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोकारो जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने अथवा बोकारो जेनरल ऑस्पिटल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देते हुए इसे सुपल क्रिटीकल मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	विभागीय पत्रांक– 91 (7A) दिनांक– 12-03-2011 द्वारा बोकारो में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु SAIL प्रबंधन को Essentiality Certificate प्रदान किया गया है। बोकारो में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक– 216 (9) दिनांक– 10-12-15 द्वारा अध्यक्ष– सह– प्रबंध निदेशक, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली को कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06–05/16 - 38(9) राँची, दिनांक– 17.02.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 736 दिनांक– 13-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/02

सरकार के अवर सचिव

Tiwari

258
18.2.16

203

श्री प्रो0 जयप्रकाश वर्मा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्रनि0–03 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रो0 जयप्रकाश वर्मा, माननीय सदस्य, विधान सभा	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत प्रखण्ड गाण्डेय में महिला के लिए उच्च तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कराया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक हैं
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष –2008 से ही यह आई0टी0आई0 भवन अधुरा है, जिसके कारण सरकार द्वारा खर्च की गई राशि बेकार हो रही है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखण्ड में अधुरा महिला महाविद्यालय भवन को पूर्ण कर महिला आई0टी0आई0प्रशिक्षण प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखण्ड में महिला औ0प्र0संस्थान का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संस्थान का संचालन सी0एस0आर0 के अन्तर्गत किया जाना है। सी0एस0आर0 के अन्तर्गत चयन नहीं होने की स्थिति में इसका क्रा संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

ज्ञापांक – 5/प्रशि0 (वि0स0)–13/2016 258 रॉची, दिनांक 18.2.2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान– सभा को उनके पत्र सं0– 734 दिनांक 13.02.16 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

204

प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–11 का उत्तर :–

क्रं0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्र0नि0–11	**श्री राज पलिवार,** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि –	
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय, प्रखण्ड के अहिल्यापुर, गाँव के तीन मल्लाह मजदूरों बोधी मल्लाह, भूदकी मल्लाह, उर्फ राजू मल्लाह एवं बब्लू मल्लाह मजदूरी करने सूरत जा रहे थे;	उत्तर स्वीकारात्मक है
2	क्या यह बात सही है कि दुर्भाग्य वश मुगलसराय के नजदीक कालका मेल के चपेट में आने से इनकी मृत्यु 25.12.2015 को हो गई;	तदैव
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में उल्लिखित मजदूरों के आश्रितों को सरकारी मुआवजा देने का विचार रखती हे यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा यथाशीघ्र देने का विचार रखती है। इस सम्बन्ध में तीनों मृतक के आश्रितों से संबंधित सूचना प्राप्त कर ली गयी है। सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मुआवजा का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांकः– 02/श्रमा0 का0 (प्र0 म0)3/16 श्र0नि0 287 राँची दिनांक 18/2/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–358, दिनांक–11.02.2016 के अनुपालन में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

Sudhir Singh<Drafts<Lok Sabha

(205)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–12 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री साधु चरण महतो, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित नरसिंह इस्पात प्रा0 लि0 खूँटी, जुही इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पालगम एवं डिभाईन ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रा0 लि0 पालगम के द्वारा सरकारी जमीन व वनभूमि को घेरकर अतिक्रमण करते हुए कम्पनी को स्थापित किया गया है ?	स्वीकारात्मक है। (1) मेसर्स नरसिंह इस्पात प्रा0लि0 मौजा–खुँटी, थाना नं०–175, खाता नं.–506, प्लॉट नं०–2642, 2645, 2668 रकबा क्रमशः–0.26, 0.23 एवं 0.06 एकड़ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है। नरसिंह इस्पात प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–कुरली पी0एफ0 में 0.24 हे0, मुसरीबेड़ा पी0एफ0 में 0.08 हे0 कुल– 0.5 हे0 में वनभूमि का अतिक्रमण तथा मुसरीकुदर पी0एफ0 जिसमें 9.62 हे0 में जगल झाड़ दर्ज है का कुल 10.12 हे0 वनभूमि का अतिक्रमण किया गया। वन विभाग द्वारा अतिक्रमित वन भूमि हेतु अपराध प्रतिवेदन संख्या–167/05.12.12 (Go Case No- 214/2012) अपराध प्रतिवेदन सं0–170/10.01.2013 (Go Case No- 12/2013) वनवाद दर्ज किया गया है, जो न्यायालय में विचारण स्तर पर लंबित है। (2) जूही ग्लास इंटरप्राईजेज प्रा0लि0 तुरीलडीह द्वारा तुरीलडीह पी0एफ0 में 14.70 हे0 वनभूमि का अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में मामला दायर है। जिसका वाद सं0– (WP (C) 6308/2006) है। (3) मेसर्स डिवाईन ग्रुप ऑफ कम्पनी प्रा0लि0, मौजा– पालगम थाना नं0–197, खाता नं0–108, प्लॉट नं0–324/ए, रकबा 0.26 एकड़ एवं मौजा– तिरूलडीह थाना नं0–198, खाता नं0–86 प्लॉट नं0–407, रकबा–1.19 एकड़ सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है। मे0 डिवाईन एलाईज एंड पावर कम्पनी लि0 द्वारा तुलग्राम में 01.62 हे0 वन भूमि अतिक्रमण की गई है जिसके विरूद्ध वनवाद दर्ज किया गया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कम्पनियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कम्पनियों द्वारा अतिक्रमण किये गये जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कम्पनियों के विरूद्ध बिहार लोकभूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अतिक्रमण वाद संख्या–03/15–16 एवं 04/15–16 दायर कर नोटिस निर्गत करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है एवं वन भूमि से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–4/ वि0स0 (तारां0)–23/16–593(4)/रा०   राँची, दिनांक– 18.02.16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–698 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

C:\Users\HP\Desktop\bidhansabha ques answ.doc

(206)

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा०– 17 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग –02 के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु भूमि का अधिग्रहण चौंपारण, बरही एवं बरकठ्ठा अंचलों में कुल 39 ग्रामों में कुल रकबा–179.82 एकड़ है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा किन्ही को कृषि दर पर तो किन्ही को व्यवससायिक दर पर EFT के माध्यम से किया जा चुका है जबकि राजमार्ग–02 के किनारे अधिकांश भूमि व्यवसायिक है।	सभी भूमिधारियों की भूमि का मुआवजा राशि भूमि के किस्म के आधार पर भुगतान EFT के माध्यम से किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि उपयुक्त, हजारीबाग द्वारा अपने पत्रांक'1096/भू०अ०, दिनांक–10.12.2015 के माध्यम से विभागीय सचिव को व्यवसायिक दर पर मुआवजा भुगतान हेतु अनुशंसा भेजा गया है।	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा व्यवसायिक दर पर मुआवजा भुगतान हेतु मार्ग निर्देश की मांग की गयी थी जिसके प्रसंग में विभागीय पत्रांक–1013 दिनांक–14.12.2015 द्वारा उपायुक्त को निदेशित किया गया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–26 (3) के परन्तुक के अनुसार किसी क्षेत्र में भूमि अर्जन की कोई कार्यवाहियाँ आरंभ करने के पूर्व, उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे। उक्त आलोक में अर्जनाधीन क्षेत्र की स्थल जाँच कर भारत सरकार के पत्र संख्या– 13013/ 1/ 2014 –LRD (pt) दिनांक–13.08.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देश के आलोक में भूमि के वर्तमान स्वरूप के अनुसार भूमि का मूल्य अवधारण करने हेतु निदेशित किया गया है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त भूमि अधिग्रहण का मुआवजा सभी को व्यवसायिक दर पर कराते हुए आमजनों को मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–8बी.0/भू0अ0नि वि0स0 (तारां0)–26/16 – 113/वि०स० दिनांक– 18-2-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–699 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

18/2/16

(207)

माननीय श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–विधि–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में लोकायुक्त को समुचित अधिकार नहीं मिलने के कारण लोकायुक्त द्वारा की गयी अनुशंसा के मामले में समुचित कार्रवाई नहीं हो पाती है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य गठन के पश्चात् सन् 2001 में लोकायुक्त अधिनियम, 2001 द्वारा राज्य में लोकायुक्त संस्था का गठन किया जा चुका है एवं लोकायुक्त द्वारा अनुशंसित मामलों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि लोकायुक्त के पास अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं होने के कारण लोकायुक्त संस्थान की भूमिका बेहद सीमित रह गयी है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में लोकायुक्त द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह किया जा रहा है। लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल 455, वर्ष 2012–13 में 101 एवं वर्ष 2013–14 से सितम्बर, 2015 तक में कुल 110 मामलों का निष्पादन किया गया है। लोकायुक्त को स्वतत्र जांच एजेन्सी एवं तकनीकी पद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका डब्लयू0 पी0 (पी0 आई0 एल0) सं0– 6428/2012 पैट्रिक सदा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.03.2014 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–7020 दिनांक–10.07.2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 में माननीय लोकायुक्त को उपलब्ध कराये जाने वाले अभिकरणों का स्पष्ट वर्णन है। माननीय लोकायुक्त को स्वतंत्र तकनीकी एवं अनुसंधान एजेंसी उपलब्ध कराने का प्रावधान झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2001 में नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक 1ही तो क्यों?	उपर्युक्त कण्डिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/लोकायुक्त(वि0स0)–04–02/2016 का0 1424/राँची, दिनांक– 16.2.16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप सं0–759 दिनांक–14.02.2016 के प्रसंग में दो सौ प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.16

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

208

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–44 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर अस्पताल एवं राजमहल अनुमण्डल अस्पताल में यूनिट के अनुरूप ए0एन0एम0 या जी0एन0एम0 का पद रिक्त रहने के कारण महिला मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, साहेबगंज एवं अनुमण्डलीय अस्पताल, राजमहल में ए0एन0एम0 का पद सृजित नहीं है तथापि सदर अस्पताल, साहेबगंज में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से 8 ए0एन0एम0 तथा अनुमण्डलीय अस्पताल, राजमहल में 4 ए0एन0एम0 की प्रतिनियुक्ति कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। सदर अस्पताल, साहेबगंज में 2 नियमित एवं 6 अनुबंध पर जी0एन0एम कार्यरत है। अनुमण्डलीय अस्पताल, राजमहल में 1 नियमित एवं 1 अनुबंध पर जी0एन0एम0 कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है खण्ड–1 में वर्णित अस्पतालों में बर्न मरीजों के लिए खास संसाधन की सुविधा न रहने के कारण स्थानीय मरीज को सीमावर्ती राज्य के अस्पतालों में ईलाज के लिए जाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सदर अस्पताल, साहेबगंज में बर्न यूनिट निर्माणाधीन है। वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से बर्न मरीजों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था कर ईलाज किया जाता है। अनुण्डलीय अस्पताल, राजमहल में बर्न यूनिट नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि राजमहल अनुमण्डल अस्पताल में महिला चिकित्सक एवं सर्जन नहीं रहने के कारण मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। अनुमण्डलीय अस्पताल, राजमहल में महिला चिकित्सक के रूप में डॉ0 प्रीति नयन पदस्थापित है एवं डॉ0 पी0 पी0 पाण्डेय Gynae Surgeon के रूप में प्रतिनियुक्त है।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज सदर अस्पताल एवं राजमहल अनुमण्डल अस्पताल में यूनिट के अनुरूप ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 बर्न मरीजों के ईलाज के लिए समुचित संसाधन एवं राजमहल अनुमण्डल अस्पताल में महिला चिकित्सक और सर्जन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–02/2016 140(3) राँची, दिनांक: 17/2/16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 662/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016

सरकार के उप सचिव

पत्रांक 10/नि. (तारांकित) 06/16............. (2 09)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा.–02 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती बिमला प्रधान, स. वि. स.	श्री अमर बाउरी, मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में राज्य में एग्रीमेंट, पावर, पार्टनरशिप एवं अन्य कार्यो के लिए जो स्टाम्प शुल्क लिया जाता है वो नाममात्र का है, फलस्वरूप जिसके कारण छोटे मूल्यों का स्टाम्प लोगों को मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जनसाधारण के मध्य स्टाम्प की आपूर्ति अबाध्य रूप से करने हेतु सरकार द्वारा ई–स्टाम्प की बिक्री वर्ष 2013 से प्रारंभ की गयी है। सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालयों द्वारा एवं स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत सरकारी बैंकों द्वारा सभी अधिमान के गैर–न्यायिक ई–स्टाम्प की बिक्री की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि छोटे मूल्यों के स्टाम्प ट्रेजरी में समाप्त हो चुके है और मांगने का कार्य भी नहीं किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। ई–स्टाम्पिंग प्रारंभ हो जाने के कारण छोटे/बडे गैर–न्यायिक स्टाम्पों को छपवाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य बिहार में स्टाम्प शुल्क निम्न प्रकार से है :– एग्रीमेंट 1000/–, पावर 500/– पार्टनरशिप 5000/– और शेष अन्य कार्यो के लिए न्यूनतम 100/– का शुल्क रखा गया है जिससे राजस्व भी काफी प्राप्त हो रहा है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व वृद्धि के लिए नये दर से स्टाम्प शुल्क निर्धारित करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। विभाग द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के शेड्यूल 1A में मुद्रांक शुल्क वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार कर विधिक्षा हेतु विधि (न्याय) विभाग को दिनांक 28.01.2016 को भेजा गया है। विधि विभाग की सहमति उपरांत सक्षम स्तर पर प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञापांक :– 185 रॉंची, दिनांक: 17-2-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं. 682 दिनांक 12.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

17/02/16

सरकार के उप सचिव।

210

श्री गणेश गंझू, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–21 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमरिया विधान सभा अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र लावालौंग एवं पथलगड़ा में महिला डॉक्टर नहीं है, जिससे महिलाओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और आये–दिन महिला डॉक्टर नहीं रहने के कारण आकस्मिक घटनाएँ घटती है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। महिला चिकित्सक की अनुपलब्धता के कारण कोई आकस्मिक घटना घटित होने की सूचना प्रतिवेदित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्र में डॉक्टरों की भी समुचित व्यवस्था नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है उनके द्वारा ही उपकेन्द्रों में जाकर चिकित्सकीय कार्य किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के स्वास्थ्य केन्द्र में विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था नहीं है, जिससे विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है जिससे लोगों को रांची या हजारीबाग जाना पड़ता है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। चतरा जिला के मुख्यालय में सिविल सर्जन के अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है। कुछ रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने के कारण उस रोग से संबंधित अन्य संस्थानों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। 162 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुशंसा झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होते ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन किया जायेगा।
4.	क्या यह बात भी सही है कि लावालौंग में जो स्वास्थ्य केन्द्र खुला है, उसमें भी ईलाज तथा शल्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लावालौंग में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में डॉ0 मनोज कुमार भगत पदस्थापित है, जिनके द्वारा मरीजों का ईलाज किया जाता है।
5.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य केन्द्र में एक पुरूष डॉक्टर एवं एक महिला डॉक्टर नियुक्त करने के साथ–साथ उपरोक्त समस्याओं के निराकरण का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्यक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–03/2016 143(3) राँची, दिनांक: 17/02/2016

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 740/वि0स0 दिनांक 13.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 17/2/2016

सरकार के उप सचिव

211

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–16 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम–मुन्ना पतरा चकला में 1984–85 एवं 1993–94 में आदिवासी, हरिजन एवं अन्य परिवारों का 20 सुत्री कार्यक्रम के तहत् बसाये सभी परिवारों को आवास संबंधी पट्टा उपलब्ध नहीं कराया गया है;		अस्वीकारात्मक। स्थानीय जाँच में पाया गया कि वर्ष 1982 में राजस्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा 20 सुत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत "बेघरों को घर" प्लान अन्तर्गत लगभग 50 लोगों को जमीन संबंधी पट्टा उपलब्ध कराया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त परिवारों में आवास संबंधी पट्टा उपलब्ध नहीं रहने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;		आंशिक स्वीकारात्मक। जाँच में पाया गया कि 20 लोगों के पास आवास संबंधी पट्टा नहीं है, जो कई वर्षों से यहाँ मकान बना कर रह रहें है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार क्षेत्र में बसे सभी परिवारों का पट्टा उपलब्ध कराने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		जाँचोपरान्त सुयोग्य श्रेणी के लोगों को आवास पट्टा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0 वि0स0 तारां0–22/16 592 (4)/रा0 दिनांक– 18.02.16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–701 वि0स0, दिनांक–12.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

212

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 16 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर, पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु परामर्शी की नियुक्ति की गई है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा उक्त मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, पलामू द्वारा भूमि चिह्नित कर लिया गया है । सिविल सर्जन, पलामू द्वारा इस भूमि पर खूँटागड़ी एवं मैंपिंग कराते हुए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु परामर्शी से डी0पी0आर0 प्राप्त है । निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 23/16– 153(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 737/वि0स0, दिनांक– 13.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016

सरकार के उप सचिव ।

(213)

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के महत्वपूर्ण अस्पताल रिम्स, राँची में 439 महंगे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं, जिनमें वेंटिलेटर, नेब्यूलायजर तथा हाईड्रालिक टेबल जैसे उपकरण शामिल है ;	अस्वीकारात्मक। विगत दस वर्षो के अन्तर्गत रिम्स द्वारा क्रय किये गये सभी वेन्टीलेटर नेब्यूलाईजर तथा हाईड्रालिक टेबल जैसे उपकरण संबंधित विभागों मे कार्यशील हैं। यदा–कदा इन यंत्रों के मशीनरी पार्टो में खराबी होती रहती है, जिसे संबंधित एजेन्सी द्वारा त्वरित मरम्मत कराकर पुनः कार्यशील बनाया जाता है। सरकारी प्रावधानों के अनुसार मशीन उपकरणों को आमुमन अनुमानित कार्यकाल 10 वर्षो का माना जाता है। वे उपकरण जो विगत 10 वर्षो से अधिक पुराने हो चुके है उन्हें यथा संभव मरम्मत काराकर कार्य लिया जाता है अथवा अति जीर्ण होने की स्थिति में उन्हें बेकार घोषित किया जाता है। इस कार्य हेतु रिम्स मे रद्दीकरण समिति गठित है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महंगे उपकरणों का प्रयोग न करने या गैर जरूरी उपकरणों की खरीद करने के दोषी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–11 / रिम्स (वि0स0)–05–02 / 2016 - 34 (11) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17/02/2016

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 674 दिनांक 12.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17/2/2016

सरकार के उप सचिव।

214

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–31 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0सी0आई0 की गाईडलाइन के अनुरूप अधिसंरचना और मानव संसाधन का इंतजाम किया जा चुका है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि समुचित व्यवस्था हो जाने के बावजूद एम0सी0आई0 द्वारा राज्य में मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ाई गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य में मेडिकल सीट बढ़ाने की दिशा में विचार करना चाहती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्त्तमान में तीन मेडिकल कॉलेज यथा रिम्स, रांची, एम0जी0एम0 जमशेदपुर एवं पी0एम0सी0एच0, धनबाद में एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम में क्रमशः 150, 100 एवं 100 सीट पर नामांकन किया जा रहा है। एम0सी0आई0 मानक के अनुसार तीनों चिकित्सा महाविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या क्रमशः 250, 150 एवं 150 सीट किये जाने हेतु आधारभूत संरचना एवं पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06–04/16 – 42(9) राँची, दिनांक– 17.02.16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 670 दिनांक– 12-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

Tiwari

216

श्री डॉ0 इरफान अन्सारी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 40 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला के नगर पंचायत मिहिजाम में 6 शय्या अस्पताल का भवन जर्जर है एवं किसी भी समय भवन गिर सकता है;		आंशिक स्वीकारात्मक । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहिजाम नगर पंचायत मिहिजाम के भवन में संचालित था, परन्तु भवन पुराने एवं जर्जर होने के कारण ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 की चिकित्सा सुविधा नवनिर्मित ओ0पी0डी0 कॉम्पलेक्स भवन में संचालित की जा रही है । पुराने भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?		अगले वित्तीय वर्ष के बजट में राशि एवं भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए भवन के निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 10 / 16– 161(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18·2·16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 661 / वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।

(217)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–43 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री अनन्त कुमार ओझा, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं अनुमण्डल स्तरीय अस्पताल में आधुनिकतम संरचना से युक्त संसाधन नहीं रहने के कारण आए दिन राज्य के मरीजों को रिम्स में रेफर कर दिया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एंव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा दी जाती है और इसके उपरान्त आवश्यकतानुसार जिला अस्पताल और अनुमण्डलीय अस्पताल और रिम्स में रेफर किये जाते है।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला मुख्यालय अस्पतालों एवं अनुमण्डल स्तरीय अस्पतालों द्वारा मरीजों को रिम्स रेफर करने से मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे बेरियर अस्पताल का कार्य नहीं कर पातें हैं ;	अस्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के जिला मुख्यालय अस्पताल एवं अनुमण्डल स्तरीय अस्पताल को बेरियर अस्पताल के रूप में आधुनिक संरचना स्थापित कर मरीजों के समुचित ईलाज दिलाने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	अस्वीकारात्मक।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07–07/16-650(15) राँची, दिनांक– 18-2-16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 663 दिनांक– 12-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह 18.2.16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

218

श्री पौलुस सुरीन, स0 वि0 स0 के द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स–20 का उत्तर सामग्री

क्र॰	तारांकित प्रश्न संख्या–स–20	माननीय मंत्री, कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अन्तर्गत बानो प्रखण्ड के सोय गॉव में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण मेसो परियोजना के तहत हो रहा है	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अस्पताल के निर्माण कार्य में निम्न स्तर के सामग्री का उपयोग किया गया है एवं बिना दरवाजा खिड़की लगाये हुए भवन का उदघाटन गोपनीय ढंग से करा दिया गया है	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक–269 दिनांक–18.02.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक– 24.09.2011, शनिवार को उक्त निर्मित पचास शय्या मेसो अस्पताल भवन का उदघाटन माननीय श्री कडिया मुंडा, तत्कालीन उपाध्यक्ष, लोकसभा एवं माननीय श्रीमती विमला प्रधान, तत्कालीन मंत्री, समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार तथा माननीय विधायक श्री पौलुस सुरीन, तोरपा विधानसभा के गरीमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ है।
3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार घटिया निर्माण करने वाले संवेदक तथा दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 07/वि0स0प्र0–38/2015– 595 राँची, दिनांक– 18/2/16.

प्रतिलिपि :1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–738 दिनांक –13.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2.संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके पत्रांक–157(6) दिनांक –18.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. प्रशाखा–5 (विधायी कार्य), कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नुरूल होदा) 18.2.16.
सरकार के उप सचिव।

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 23 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावॉ जिला के बड़ा आमदा में 500 शैय्या (Bed) वाले अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य 2015 तक पूर्ण होना था;		स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है;		स्वीकारात्मक । वस्तुतः भूमि उपलब्ध होने में विलम्ब एवं उपलब्ध भूमि पहाड़ीनुमा होने के कारण योजना कार्य में विलम्ब हुआ है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		योजना कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 22/16– 160(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 18.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 657/वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

220

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर ।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मेदिनीनगर ने अपने मेमो संख्या–1026, दिनांक–09.09.15 के द्वारा जिला योजना पदाधिकारी, पलामू को यह प्रतिवेदित किया है, कि मेदिनीनगर स्थित बैरिया बस पड़ाव की जमीन का अतिक्रमण सदर थाना, मेदिनीनगर के द्वारा किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सदर थाना बैरिया द्वारा अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अतिक्रमण हटाने हेतु आरक्षी अधीक्षक, पलामू को निदेश दिया गया है। तीन सप्ताह के अंदर उक्त अतिक्रमित भूमि को खाली करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0 भू0 तारांकित (पलामू)–29/16 586 (5)/रा0 दिनांक– 18-02-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–691 वि0स0, दिनांक–12.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव,

221

पत्रांक 10/नि॰ (तारांकित) 04/16.....
झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा॰–03 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती बिमला प्रधान, **स॰ वि॰ स॰**	**श्री अमर बाउरी,** **मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर वर्ष 2014 में 22 दिन और वर्ष 2015 में 8 दिन का राज्य व्यापी हड़ताल में थे ;	अस्वीकारात्मक। लगभग सभी जिलों से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि स्टाम्प विक्रेता हड़ताल में नहीं थे।
2.	क्या यह बात सही है कि स्टाम्प विक्रेताओं के समक्ष ई–स्टाम्पिंग शुरू होने और सरकार द्वारा स्टाम्प नहीं मांगने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ,	अस्वीकारात्मक। सम्प्रति राज्य में ई–स्टाम्प एवं पेपर स्टाम्प दोनो की बिक्री की जा रही है तथा पेपर स्टाम्प की बिक्री स्टाम्प विक्रेता के माध्यम से ही की जा रही है, जिससे स्टाम्प विक्रेताओं की बेरोजगारी का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में ई–स्टाम्पिंग के साथ–साथ स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा भी स्टाम्प विक्री जारी रखते हुए स्टाम्प मांगने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सम्प्रति ई–स्टाम्प के साथ–साथ स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा भी पेपर स्टाम्प बिक्री की प्रक्रिया जारी है। केन्द्रीकृत मुद्रांक भण्डार में प्रचुर मात्रा में पेपर स्टाम्प बिक्री हेतु रक्षित है। जिसके कारण स्टाम्प और मांगने का औचित्य नहीं है।

ज्ञापांक :– 188 राँची, दिनांक: 18/2/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं॰ 690 दिनांक 12.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

18/2/16
सरकार के उप सचिव।

222

पत्रांक 10 / नि॰ (तारांकित) 05 / 16.....

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा॰–05 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्री जगरनाथ महतो **स॰ वि॰ स॰**	**श्री अमर बाउरी,** **मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग**
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में निबंधन कार्यालय दिनांक 24.06.2011 से चल रहा है, परन्तु निबंधन कार्य नहीं हो रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि डुमरी में निबंधन नहीं होने से आम–लोगों को गिरिडीह निबंधन कार्यालय में 600 रू॰ निबंधन कराने पर अधिक लगता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डुमरी निबंधन कार्यालय में निबंधन करवाने का कार्य चालु कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। Broad Band Connection नहीं रहने के कारण एवं MODEM जल जाने के कारण निबंधन कार्य बाधित है। BSNL कार्यालय को उक्त Connection एवं MODEM के लिए शुल्क जमा कर दिया गया है। निबंधन कार्य एक माह के अन्दर प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

ज्ञापांक :– 183 राँची, दिनांक: 17-2-16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं॰ 704 दिनांक 12.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

17/02/16

सरकार के उप सचिव।

Sonu

(223) 240 18.2.16

श्री कुणाल षांडगी, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–09 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री कुणाल षांडगी, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, चाकुलिया में दो औधोगिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (आई0टी0आई0) का भवन निर्माण कार्य पुरा होने के बावजूद आज तक इन्हें चालु नहीं किया गया है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि इनका सही उपयोग नहीं होने के कारण इनके भवन खंडहर में तब्दील हो रहे है;	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों आई0टी0आई0 में अगले सत्र से नामांकन चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है यदि हॉ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राज्य के अन्तर्गत निर्मित आई0टी0आई0 के भवनों को संचालित करने के लिए मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित करने हेतु निविदा प्रकाशित किया गया था। आई0टी0आई0, बहारागोडा के संचालन के लिए जे0आई0एस0 फाउन्डेशन का चयन किया गया था परन्तु अनुदान(grant) मांग किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उक्त आई0टी0आई0 आवंटित नहीं किया जा सका। आई0टी0आई0, चाकुलिया के लिए Orissa Manganese & Mineral Ltd & adiwasi welfare trust का चयन किया गया परन्तु इनके द्वारा भी प्रशिक्षण निर्धारित समय पर नहीं शुरु किये जाने के लिए कारण पृच्छा किया गया है। उक्त दोनो आई0टी0आई0 को सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–08/2016– 246 रॉची, दिनांक :– 18/02/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–357 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

224

श्री सुखदेव भगत, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–35 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिले में स्थित अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा प्राप्त नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। लोहरदगा जिला में स्थित अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है जिले में 83 डॉक्टरों के स्वीकृत पद में 53 डॉक्टर ही पदस्थापित है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अन्य संसाधनों की कमी के कारण लोहरदगा अस्पताल में मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानी होती है ;	अस्वीकारात्मक। उपलब्ध संसाधनों से अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक निम्न सेवाएं दी जा चुकी हैं :– 1. ओ0पी0डी0 – 42878 2. आई0पी0डी0 – 4684 3. ए0एन0सी0 – 3987 4. नियमित टीकाकरण – 3615 5. एक्स रे – 148 6. प्रयोगशाला जांच – 9658 7. सामान्य प्रसव – 2501 8. सिजेरियन प्रसव – 128 9. अल्ट्रासाउंड – 349 10. RTI/STI क्लिनिक – 1212 11. ICTC क्लिनिक – 3778 12. परिवार नियोजन परामर्श – 3117
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–01/2016 139(3) राँची, दिनांक: 17/2/16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 669/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016
सरकार के उप सचिव

225 247 18.2.16

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्रनि0–02 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** **श्री योगेन्द्र प्रसाद** माननीय सदस्य, विधान सभा	**उत्तरदाता** **श्री राज पालिवार** **माननीय मंत्री,** **श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, सरकार।**
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड पंचायत– सरहचिया में नवनिर्मित आई0टी0आई0 कॉलेज चार वर्ष से बन कर बंद पड़ा हुआ है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि आई0टी0आई0 कॉलेज खुलने से पूर इलाके में स्कील डेवलपमेंट शिक्षा पाने में छात्र – छात्राओं को सुविधा होगी,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आई0टी0आई0 कॉलेज नये सत्र से प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब, नही तो ?	बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड पंचायत– सरहचिया में राज्य सरकार द्वारा आई0टी0आई0 का भवन निर्माण नहीं कराया गया है। उग्रवाद प्रभावित(LWE) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजनान्तर्गत बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के सेसबेडा में एक स्कील डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना की जा रही है। चालु वित्तीय वर्ष–2015–16 एवं आगामी वित्तीय वर्ष–2016–17 में बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड पंचायत– सरहचिया में आई0टी0आई0 के निर्माण की कोई योजना राशि की उपलब्धता के आधार पर विचार करेगी।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक – 5/प्रशि0 (वि0स0)–12/2016 247 रॉची, दिनांक 18/02/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान– सभा को उनके पत्र सं0– 707 दिनांक 12.02.16 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

226

श्री निरल पुरती, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 22 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिले के तॉतनगर प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तॉतनगर स्वास्थ्य केन्द्र काठभारी एवं कुमारडुँगी प्रखण्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र कुमारडुँगी का भवन निर्माण कराया जा रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक । तांतनगर प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तांतनगर, स्वास्थ्य केन्द्र काठभारी का भवन पूर्ण नहीं है । कुमारडुँगी प्रखण्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्ण एवं कार्यशील है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य विगत 8 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया, परन्तु अभी तक अधूरा है;		आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि वर्णित उक्त भवनों का अधूरा रहने के कारण आधारभूत संरचना के अभाव में सही रुप से क्षेत्र के ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पाती है ?		अस्वीकारात्मक । ग्रामीणों को पुराने भवन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में वर्णित उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के अधुरे भवनों को पूरा कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		ऐसे निर्माणाधीन/अधूरे भवनों को पूर्ण करने हेतु उपायुक्त, प0 सिंहभूम से विभागीय पत्रांक–1032(6) दि0 23.11.15 द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की मॉग की गई है । पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृति देते हुए योजना कार्य पूर्ण किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 09/16– 166(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 656/वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/16
सरकार के उप सचिव ।

245
18.2.16

(227)

श्री विदेश सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्रनि0–18 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री विदेश सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड लस्लीगंज प्रखण्ड, तरहसी प्रखण्ड एवं मानतू प्रखण्ड आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र/ छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित प्रखण्ड अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रान्तर्गत है जिससे छात्रों को काफी असुविधा होती है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड, लेस्लीगंज प्रखण्ड, तरहसी प्रखण्ड एवं मनातू प्रखण्ड में आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2015–16 एवं आगामी वित्तीय वर्ष –2016–17 में पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड, लेस्लीगंज प्रखण्ड, तरहसी प्रखण्ड एवं मनातू प्रखण्ड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण राशि की उपलब्धता के आधार पर सरकार विचार करेगी।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक – 5/प्रशि0 (वि0स0)–14/2016 245 रॉची, दिनांक 18.2.2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान– सभा को उनके पत्र सं0– 709 दिनांक 12.02.16 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–23 का प्रश्नोत्तर

228

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद में भू–अर्जन घोटाला हुआ है ?	वस्तुस्थिति यह है कि भू–अर्जन के कतिपय मामलों में अनियमित भुगतान तथा कुछ मामलों में भुगतान की गई मुआवजा की राशि को अवांच्छनीय तत्वों के द्वारा रैयत के खाते से अनियमित निकासी के मामले प्रकाश में आए है।
2	क्या यह बात सही है कि फर्जी दलीलों पर भी मुआवजा का भुगतान किया गया है ?	फर्जी दलील प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करने के कई मामले प्रकाश में आए है।
3	क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता धनबाद के नेतृत्व में गठित जाँच दल एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद ने फर्जी दलीलों पर मुआवजा भुगतान की जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, धनबाद को समर्पित किया है?	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी अधिकारी एवं मुआवजा भुगतान लेने वाले के विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज करने का विचार करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. धनबाद जिला के विभिन्न अंचलों में भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों/प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने एवं मुआवजा राशि के भुगतान में दलालों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों की सहभागिता द्वारा की गइ गड़बड़ी की जाँच भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो द्वारा की जा रही है। संबंधित मामले में धनबाद में कुल 5(पाँच) थाना कांड दर्ज किये गये हैं। (i) धनसार थाना काण्ड सं0–398/15, दिनांक–18.04.15 धारा–406/420/467/471/120 B/34 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(i)(v)4 (ii) धनसार थाना काण्ड सं0–392/15, दिनांक–17.04.15 धारा– 406/ 420/409/467/468/471/120 B/34 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(i)(v)4 (iii) धनसार थाना काण्ड सं0–630/15, दिनांक–16.06.15 धारा–406/420/409/467/468/471/120 B/34 (iv) धनबाद थाना काण्ड सं0–657/15, दिनांक–23.06.15 धारा–406/420/409/467/468/471/120 B/34 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(i)(v)4 (v) धनबाद थाना काण्ड सं0–665/15, दिनांक–26.06.15 धारा–406/420/471/472 2. आरोपित पदाधिकारी श्री लाल मोहन नायक तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के विरूद्ध कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की जा रही है एवं श्री उदयकांत पाठक, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र गठित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजा गया है। 3. श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कानूनगो, जिला भू–अर्जन कार्यालय, धनबाद के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' पर कार्रवाई की जा रही है। श्री श्यामपद मंडल, अमीन एवं श्री रामशंकर प्रसाद, अमीन जिला भू–अर्जन कार्यालय, धनबाद को विभागीय कार्यवाही चलाकर सेवा से बर्खास्त किया गया।

		श्री परेश नाथ पाण्डेय, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, निरसा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। श्री साधुशरण पाठक (से.नि. अमीन) विभागीय कार्यवाही चलाकर पेंशन से 40 प्रतिशत राशि कटौती एवं श्री सुनील कुमार, तत्कालीन लिपिक जिला भू–अर्जन कार्यालय, धनबाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाकर वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। निम्नांकित कर्मियों के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' कठित कर विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है :– (क) श्री पाइका टुडू, अमीन (ख) श्री शंकर प्रसाद दूबे, अमीन (ग) श्री रघुनाथ ठाकुर, अमीन (घ) श्री दुर्गा प्रसाद रजवार, अनुसेवक 4. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू–अर्जन शिड्यूल की जांच कर अनियमितताओं का निराकरण सुनिश्चित कराने तथा गलत भुगतान से संबंधित राशि की वापसी तथा सही रैयतों को मुआवजा आदि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जा चुका है जिसपर कार्रवाई चल रही है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–8बी.0 / भू0अ0नि वि0स0 (तारां0)–28 / 16.– 114 .....(8बी0) / नि0रा0, दिनांक– 18-2-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–697 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/16

सरकार के अवर सचिव

229

श्रीमती मेनका सरदार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–03 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती मेनका सरदार, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत प्रखण्ड पोटका पंचायत जुड़ी के जुड़ी में ग्रामीण चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र का नया भवन निर्मित है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि जुड़ी में महात्मा गॉधी मेमोरियल कॉलेज (एम0जी0एम0) में अध्ययनरत चिकित्सकों को प्रशिक्षण केन्द्र में आवासीय तौर पर रहकर, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हुए प्रशिक्षण लेना है ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि अध्ययनरत चिकित्सक कॉलेजों से बस में जाकर कभी– कभी सिर्फ खानापूर्ति कर लौट आते हैं ;	अस्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पोटका स्थित ग्रामीण चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र में आवासीय स्तर पर रहकर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के पी0एस0एम0 विभाग के तीन चिकित्सकों की प्रतिनियुक्त पोटका प्रखण्ड अन्तर्गत जुड़ी पंचायत के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र में की गयी है जिनके द्वारा नियमानुसार निर्धारित कार्य किया जाता है। तीनों प्रतिनियुक्त चिकित्सक प्रतिदिन अध्ययनरत इन्टर्नस को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी के साथ– साथ सर्वे करते हुए चिकित्सा प्रदान करते हैं ।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06–03/16 -39(9) राँची, दिनांक– 17.02.16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 673 दिनांक– 12-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव 17/02

Tiwari

230

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–13 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्री राज सिन्हा, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में एलोपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है जबकि आयुष चिकित्सकों की आयु 60 वर्षों की है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य के आयुष चिकित्सकों के 398 पद स्वीकृत है जिसमें से मात्र 122 डॉक्टर कार्यरत हैं ;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि विधि विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु भी एलोपैथिक चिकित्सकों की भाँति 65 वर्ष करने के संबंध में अपना मंतव्य दो वर्ष पूर्व ही दे चुकी है ;	स्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	सम्प्रति मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 20/आयुष वि0सभा0–01/16 35(20) राँची, दिनांक– 17-2-2016
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०- 739 दिनांक– 13-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Tiwari

231

श्री ताला मरांडी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–36 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के महाराजपूर एवं गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखण्ड अन्तर्गत बोआरीजोर रेफरल अस्पताल में नया भवन बनाकर अस्पताल कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। बोआरीजोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित दोनों अस्पताल में चिकित्सकों, नर्सों, टैक्नीशियनों एवं अन्य कर्मियों का भारी अभाव है, जिस कारण इन क्षेत्रों के पहाड़िया, आदिवासी एवं पिछड़े ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महाराजपुर में दो ए0एन0एम0 (Auxillary Nursing Midwife) पदस्थापित है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पदस्थापन नहीं होता है अतः रोस्टर के अनुसार चिकित्सक चिकित्सीय कार्य सम्पादित करते है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोआरीजोर में 5 चिकित्सक पदस्थापित है। नर्स एवं अन्य पारा कर्मी पर्याप्त मात्रा में पदस्थापित है, जिनके द्वारा उक्त क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मी का स्थायी पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–04/2016 142(3) राँची, दिनांकः 17/02/2016

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 668/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016
सरकार के उप सचिव

232

श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.16 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–18 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री राम कुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के उकरीद गाँव में खाता नं0–62, प्लॉट नं–194/721, एवं 194/124 है जो पहनई एवं भूईहरी जमीन है;	मौजा उकरीद के प्लॉट सं0–194/721 एवं 194/720 खाता नं0–60 से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार बकास्त भूईहरी पहनई जमीन है एवं लगान पाने वाले रथुवा पाहन के नाम से दर्ज है। इस खाता के अन्य प्लॉट सं0–319 रकबा–1.25 ए0, प्लॉट सं0–662, रकबा–0.30ए0, प्लॉट सं0–666, रकबा–0.29ए0, प्लॉट सं0693, रकबा–2.07ए0, प्लॉट सं0–676, रकबा–0.39ए0 एवं प्लॉट सं0–320, रकबा– 0.24ए0 है। प्रश्नगत प्लॉट सं0–194/124 मौजा में मौजूद नहीं है। पूछे गये खाता नं0–62 में प्लॉट सं0–194 रकबा–0.66ए0 खतियान मे खेमना कोईरी वो गहना कोईरी पेसरान चरका कोईरी कौम कोईरी साकीन ओरमांझी के नाम से कायमी के रूप में दर्ज है एवं लगान पाने वाले रथुवा पाहन है। अतः लगान रशीद निर्गत नहीं होता है।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त जमीन को जमीन माफियाओं द्वारा कब्जा कर बेचा जा रहा है;	खाता नं0 62 के प्लॉट नं0 194, रकबा–0.66ए0, खेमना कोईरी वो गहना कोईरी पेसरान चरका कोईरी कौम कोईरी की कायमी जमीन है। खेमना कोईरी व अन्य की कायमी जमीन के कुछ भाग में चाहरदिवारी खड़ा किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन की खरीद बिक्री पर रोक एवं आरोपियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खाता नं0–60 बाकस्त भूईहरी जमीन है, जबकि खाता नं0–62 कायमी भूईहरी जमीन है। इनकी खरीद विक्री नहीं होती है। वर्त्तमान में खरीद विक्री से संबंधित मामला प्रकाश मं नहीं आया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–6/वि0स0 (तारां0)– 29/16 ....591..../रा0, राँची, दिनांक– 18.02.16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–679/वि0स0, दिनांक–12.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

233

श्री योगेश्वर महतो, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– 07 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार अंचल कार्यालय में दिनांक–24.01.2011 को श्रीमती गीता देवी वगैरह सा० काटमकुल्ही द्वारा खतियांन में संशोधन सुधार करने संबंधी जमा दिए आवेदन पर हल्का कर्मचारी के द्वारा की गई जाँच से संबंधित जाँच प्रतिवेदन को आधा–अधूरा एवं अपूर्ण बताते हुए श्रीमती गीता देवी एवं अन्य द्वारा अंचल अधिकारी पेटरवार के कार्यालय में दिनांक–16.01.2012 को आवेदन जमा देकर पूनः दोवारा बिन्दुवार विस्तृत जाँच करने एवं जाँच प्रतिवेदन उच्च पदाधिकारियों को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन उक्त आवेदन अंचल कार्यालय पेटरवार में लंबित है ?	श्रीमती गीता देवी वैगरह द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार सर्वे खतियान में गलती से जाति करमाली के जगह कमार दर्ज हो गया है। सर्वे खतियान 1932 एवं राजस्व अभिलेखों की जाँच की गई। खतियान में जाति कमार अंकित है। वर्त्तमान में सर्वे का कार्य नहीं चल रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लंबित आवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं पर आधारित जाँच कराने का विचार रखती है, यदि, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यदि आवेदिका द्वारा कोई आवेदन सक्षम प्राधिकार (बंदोबस्त पदाधिकारी) को दिया जाता है तो उस पर विधिवत निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 2/भू0अ0परि0निदे0–11/16 95/रा० दिनांक– 18-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–703 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

18/02/2016

सरकार के उप सचिव

234

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान–सभा क्षेत्र के सरिया प्रखण्ड को बगोदर–सरिया अनुमण्डल का दर्जा प्राप्त है, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संसाधन के अभाव में संचालित है;		स्वीकारात्मक । सरिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संचालित है। इसके परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माणाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अनुमण्डल में अनुमण्डलीय अस्पताल की स्थापना करने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकेगी;		स्वीकारात्मक ।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों का आनुपातिक पद सृजन नहीं है, जिससे चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है;		सरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण उपायुक्त द्वारा चयनित एजेन्सी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गिरिडीह के द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण अधूरा है। पूर्ण होने पर पद स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया में एक चिकित्सक एवं एक यूनानी चिकित्सक का पद स्वीकृत है। सम्प्रति एक यूनानी चिकित्सक पदस्थापित है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अनुमण्डल में अनुमण्डलीय अस्पताल खोलने एवं वर्णित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ–साथ चिकित्सकों की अनुपातिक नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		कंडिका 3 मे स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 12/16– 165(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 650/वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–13 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक मात्र डिग्री संस्थान सिंहभूम कॉलेज चॉडिल के नाम से एक इंच भी जमीन नहीं है।		स्वीकारात्मक। पंजी–II में सिंहभूम कॉलेज चाण्डिल के नाम पर कोई भूमि दर्ज नहीं है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सिंहभूम कॉलेज चॉडिल के अगल–बगल का सरकारी जमीन को कॉलेज के नाम से देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सिंहभूम कॉलेज चाण्डिल के आस–पास में सरकारी खाते की भूमि खाता सं0–112, खेसरा सं0– क्रमशः 274, 273, 273 रकबा क्रमशः 9.50 ए0, 1.57 ए0, 0.67 ए0 एवं किस्म क्रमशः जंगल डूंगरी, जंगल झाड़ी, पुरानी परती है जिसमें से खेसरा सं0–274 के लगभग 5.30 ए0 भूमि में सिंहभूम कॉलेज, चाण्डिल का भवन एवं चाहार दिवारी निर्मित है। अधियाचना प्राप्त होने पर एवं वन विभाग से अनापत्ति मिलने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/वि0स0 तारां0–25/16 572 (4)/रा0 दिनांक– 18-02-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–680 वि0स0, दिनांक–12.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

236 259 18-02-16

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–08 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में हजारो छात्र आई0टी0आई0 प्रशिक्षण हेतु शहर की ओर निकल रहे है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर पलामू के एक आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र में अधिक छात्रों के रहने के कारण कई छात्र प्रशिक्षण लेने से वंचित हो जा रहे है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चैनपुर प्रखंड जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु विचार रखती है यदि हॉ, तो कब तक, नही, तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष–2016–17 में पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में सरकारी आई0टी0आई0 का निर्माण राशि की उपलब्धता के आधार पर सरकार विचार करेगी।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–07/2016–259 रॉची, दिनांक :– 18-02-16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–360 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

237

श्री रविन्द्र नाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–10 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री रविन्द्र नाथ महतो, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में सदर अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र उपस्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विगत दस वर्षों से हजारो कर्मी अनुबंध पर कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अनुबंध में कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	एन0आर0एच0एम0 अनुबंध कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत संबंधित पदों पर नियुक्तियों में प्राथमिकता देने संबंधित नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07–06/16 -63(15) राँची, दिनांक– 18-02-16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 676 दिनांक– 12-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

238

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-02-2016
पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–50 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि रांची के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सबसिडरी स्वास्थ्य केन्द्र है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र हमेशा बन्द रहता है ;	अस्वीकारात्मक। स्वास्थ्य केन्द्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है। चिकित्सक का दो पद स्वीकृत है। सम्प्रति चिकित्सक पदस्थापित नहीं है, यद्यपि विभाग द्वारा डॉ0 नीलम दास को पदस्थापित किया गया है । किन्तु, उन्होंने अभी तक प्रभार ग्रहण नहीं किया है। तत्काल प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, बुड़मू द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण किया जाता है।
3-	क्या यह बात सही है कि खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत एक मात्र सरकारी चिकित्सालय, मैक्लुस्कीगंज में अवस्थित हैं ;	अस्वीकारात्मक। खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत निम्नांकित स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है :– i) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैक्लुस्कीगंज। ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेलारी। उपरोक्त के अतिरिक्त खेलारी क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कोनका, लपरा, नावाडीह में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बन्द पड़े चिकित्सालय को खोल कर क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करने का विचार करती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07–09/16 -62(15) राँची, दिनांक– 18-02-16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 754 दिनांक– 14-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

श्री फुलचंद मण्डल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–25 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री फुलचंद मण्डल, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में बी0सी0सी0एल0 द्वारा मुकुन्दा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट (M.O.C.P) के लिए 1600 एकड़ से भी अधिक खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है, जो अभी तक बेकार पड़ा हुआ है ?	स्वीकारात्मक है। मुकुन्दा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट (M.O.C.P) के लिए 1793.59 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए राज्य सरकार निपनियाँ सबईगढ़ा इत्यादि गांवों की खेती योग्य सैकड़ों एकड़ जमीन झरीया पूर्नवास एवं विकास प्रधिकार (JAREDA) के लिए अधिग्रहण की है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मौजा– निपनिया में 120.82 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। मौजा– सवईगढ़ा में कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है।
3	क्या यह बात सही है कि जरेडा बी0सी0सी0एल के भू–धंसान एवं अग्नि गैस प्रभावित क्षेत्र में बसे गैर बी0सी0सी0एल लोग को बसाने के लिए खेती योग्य जमीन अधिग्रहण करना चाहती है ?	स्वीकारात्मक। जरेडा बी0सी0सी0एल के भू–धंसान एवं अग्नि गैस प्रभावित क्षेत्र में बसे गैर बी0सी0सी0एल लोग को बसाने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में विहित मापदण्डों के आधार पर आवश्यकतानुसार जमीन को अधिग्रहण किया जा सकता है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार खेती योग्य जमीन को बचाने की विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 17 (iii) में प्रावधान किया गया है कि कृषि योग्य भूमि का अर्जन किसी जिले में सभी परियोजनाओं के लिए राज्य के कुल शुद्ध बोया क्षेत्र का एक चौथाई क्षेत्र तक ही किया जाना है तथा प्रत्येक जिले के भू–अर्जन मामलों में अपने जिला अर्न्तगत इस सीमा का पालन करेगा और यदि किसी जिला में इस सीमा से अधिक भूमि की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–8बी.0/भू0अ0नि वि0स0 (तारां0)–29/16 — 115/नि०रा० दिनांक– 18-2-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–695 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/16

सरकार के अवर सचिव

240

(7)

श्री जगरनाथ महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–04 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 संविदा पर कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक। ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0, एन0एच0एम0 (National Health Mission) के तहत संविदा पर कार्यरत हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में ए0एच0एम0 (National Health Mission) के अन्तर्गत अनुबंधित ए0एन0एम0 (Auxillary Nursing Midwife) तथा जी0एन0एम0 (General Nurse Midwife) के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 के हड़ताल पर रहने से आम जनता प्रभावित हो रही है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ए0एन0एम0 और जी0एन0एम0 को स्थायीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एन0आर0एच0एम0 अनुबंध कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संबंधित पदों पर नियुक्तियों में अधिमानता (Weightage) देने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया गया है। तदनुसार ए0एन0एम0/ जी0एन0एम0 अनुबंध कर्मियों के लिए अधिमानता (Weightage) तय करते हुए विभागीय स्तर पर संशोधित नर्सिंग नियुक्ति नियमावली, 2016 निर्माणाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–17/2016 - 35(21) राँची, दिनांक: 17.2.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 677/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2

सरकार के उप सचिव

241

माननीय स0वि0स0, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि राज्य में आवासीय, जाति एवं ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र बनाने हेतु आवेदक व उनके निकट सम्बन्धियों का नाम 1932 के खतियान में होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है,	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गिरिडीह अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी (1) अली बक्स मियां (2) श्री अभय सिन्हा एवं (3) अली जान मियां ने जान बूझकर खण्ड–01 में वर्णित पत्र में उक्त खतियान में आवेदक व उनके निकट सम्बन्धियों का नाम की अनिवार्यता बताकर उक्त आवेदन को सत्यापन करने से इनकार कर रहे हैं, जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों का खण्ड–01 में वर्णित प्रमाण–पत्र नहीं बन रहा है,	अस्वीकारात्मक।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित प्रमाण–पत्र निर्गत करने का ओदश उक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए खण्ड–02 में वर्णित कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में अंकित स्थिति के आलोक में प्रश्न की कंडिका–3 का उत्तर अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–16/2016 का0–1552 रांची, दिनांक 18/2/16

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–692/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

242

पत्रांक 10/नि॰ (तारांकित) 03/16.....

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा॰–21 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स॰ वि॰ स॰	श्री अमर बाउरी, मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 16/02/2011 को निबंधन कार्यालय, डुमरी, जिला–गिरिडीह का तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी द्वारा बिना झारनेट कनेक्सन के चालू हुए उद्घाटन करा दी गई, जिसके कारण उक्त कार्यालय दो वर्ष तक बंद रही;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कार्यालय में पीरटांड, डुमरी, बगोदर एवं सरिया इत्यादि प्रखण्ड के लोगों का निबंधन होता था, जहाँ विगत 01 (एक) वर्ष से पदाधिकारियों की लापरवाही से निबंधन का कार्य बंद है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। Broad Band Connection नहीं रहने के कारण एवं MODEM जल जाने के कारण निबंधन कार्य बाधित है। BSNL कार्यालय को उक्त Connection एवं MODEM के लिए शुल्क जमा कर दिया गया है। निबंधन कार्य एक माह के अन्दर प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित कार्यालय के बंद रहने से उक्त प्रखण्ड के लोगों के गिरिडीह जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय से निबंधन का कार्य कराने को मजबूर होने के साथ–साथ प्रति निबंधन 650/–रूपये अतिरिक्त शुल्क देनी पड़ रही है ? यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित कार्यालय को चालू कराते हुए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, तो कब तक नही तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। खण्ड–02 में वर्णित कारणों के कारण निबंधन कार्य बाधित है। निबंधन कार्य एक माह के अन्दर प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

ज्ञापांक :– 184 राँची, दिनांक: 17-2-16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं॰ 700 दिनांक 12.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

17/02/16

सरकार के उप सचिव,

Assembly Que 15-02-16

Sonu

243

श्री राजकुमार यादव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 27 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
1. क्या यह बात सही है कि धनवार विधान–सभा क्षेत्र के चालीस पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण नहीं हो पाया है और 30 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण हो गया है तथा वहाँ डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो पायी है, जिससे ग्रामीणों को छोटी–मोटी बीमारियों के लिए कई किलों मीटर सफर तय करके इलाज कराना पड़ता है;		आंशिक स्वीकारात्मक । राजधनवार विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत 71 पंचायतो में कुल 39 स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सकों के द्वारा रोस्टर के अनुसार उपकेन्द्रों के मरीजों को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि समय पर अस्पताल नहीं पहुँचने के कारण उनकी मौत हो जाती है,		आंशिक स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार बचे हुए शेष 40 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करने तथा उनमें डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		आई0पी0एच0एस0 मानक के अनुरूप शेष पंचायतों में चरणबद्व ढंग से भूमि उपलब्धता एवं बजट में राशि की उपलब्धता के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 03/16– 168 (6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 649/वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

244

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 14 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखण्ड के अन्तर्गत श्यामसुन्दरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी तक भवनहीन एवं चिकित्सक विहिन है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि इसके चलते श्यामसुन्दरपुर थाना क्षेत्र की जनता पूरी तरह से चिकित्सा शिक्षा से वंचित है एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि श्यामसुन्दरपुर थानान्तर्गत कुल 6 स्वास्थ्य उपकेन्द्र बाडामारा, मुडाल, श्यामसुन्दरपुर, पखोरिया, केरूकोचा एवं जमुआ में कार्यरत है। यहॉ नियमित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार वहॉ पर स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		अगले वित्तीय वर्ष में बजट में राशि की उपलब्धता एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर श्यामसुन्दरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा । इस स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है । पद सृजन के पश्चात चिकित्सकों एवं कर्मियों के पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 14/16– 164(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 735/वि0स0, दिनांक– 13.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

(245) 249 18.2.16

श्रीमति मेनका सरदार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या श्रनि0–01 का निदेशालय , नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** श्रीमति मेनका सरदार माननीय सदस्य, विधान सभा	**उत्तरदाता** **श्री राज पालिवार** **माननीय मंत्री,** **श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, सरकार।**
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत पोटका विधान सभा के प्रखण्ड पोटका, जो आदिवासी बहुल्य है, जिसकी दूरी 40 कि0 मी0 है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पोटका जैसे पिछड़े क्षेत्र में कोई भी तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (I.T.I) नहीं होने के कारण गरीब, पिछड़े मेधावी छात्र की प्रतभा कुंडित हो रही है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिवासी पिछड़े बहुल्य छात्रों के निमित्त तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (I.T.I) खोलने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष–2016–17 में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पोटका विधानसभा क्षेत्र में आई0टी0आई0 के निर्माण की योजना राशि की उपलब्धता के आधार पर सरकार विचार करेगी।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

ज्ञापांक – 5 / प्रशि0 (वि0स0)–11 / 2016 249 रॉची, दिनांक 18/02/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान– सभा को उनके पत्र सं0– 706 दिनांक 12.02.16 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

(246)

श्री अरूप चटर्जी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–33 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य NRHM (ANM/GNM) अनुबंध कर्मचारी संघ अपनी चार सूत्री मांगो की पूर्ति हेतु दिनांक 15.01.2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है;	अस्वीकारात्मक। दिनांक 15.01.2016 से एन0एच0एम0 (National Health Mission) अन्तर्गत ए0एन0एम0 (Auxillary Nursing Midwife) तथा जी0एन0एम0 (General Nurse Midwife) हड़ताल पर थे।वर्त्तमान में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है।
2.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अनुबंध कर्मचारी संघ के मांगों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दिनांक 05.02.2016 को एन0आर0एच0एम0, ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 अनुबंध संघ एवं सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सम्पन्न वार्त्ता में संघ के विभिन्न मांगों के संबंध में यथोचित निर्णय लिया गया है एवं तद्आलोक में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–18/2016 -36 (21) राँची, दिनांक: 19.02.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 664/वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(247)

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची

पत्रांक : सू0प्रौ0 / विधानसभा प्रश्न–19 / 2016 450 रांची, दिनांक : 17.02.16

प्रेषक,

अनुराग लकड़ा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखंड विधानसभा सचिवालय,
झारखंड, रांची।

विषय : श्री फूलचंद मण्डल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–26 के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका ज्ञाप सं0 प्र0–694 वि0स0, दि0 12.02.16 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–528 / रा0 दि0 15.02.16

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि श्री फूलचंद मण्डल, स0वि0स0 द्वारा द्वारा दिनांक 19.02.16 को पुछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–26 की उत्तर सामग्री संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

17/02/16

सरकार के अवर सचिव।

श्री फूल चंद मण्डल, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.सं.	प्रश्न श्री फूलचंद मण्डल, स0वि0स0	उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सहित राज्य के सभी जिलों के पंचायतों में ऑनलाईन (Internet) की व्यवस्था नहीं होने के कारण आवेदनकर्त्ताओं को आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र मिलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पंचायत सचिवालय व अंचल कार्यालयों में कार्यरत राजस्व कर्मियों को ऑनलाईन आवेदन स्वीकृत करने हेतु कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं की गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में ऑनलाईन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सभी पंचायत सचिवालयों में ऑनलाईन प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करने तथा राजस्व कर्मचारियों एवं पंचायत सेवकों को सरकारी स्तर पर कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में ऑनलाईन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु उपलब्ध सभी पंचायत सचिवालयों में इंटरनेट की व्यवस्था तथा राजस्व कर्मचारियों को सरकारी स्तर पर कम्प्यूटर की व्यवस्था कराना चाहती है। पंचायत सचिवालय/अंचल कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु तृतीय अनुपूरक बजट में रु0 25 (पचीस) करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजना भारतनेट के अन्तर्गत राज्य के सभी पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इसके अंतर्गत Optical Fiber Connectivity का कार्य प्रक्रियाधीन है।

248

श्री डॉ0 इरफान अन्सारी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 37 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के लाधना पंचायत में 10 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संचालन लाधना पंचायत भवन में किया जा रहा है;		आंशिक स्वीकारात्मक । पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लादना का संचालन लादना पंचायत भवन में किया जा रहा था ।
2. क्या यह बात सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का अपना भवन 6 महीना पूर्व ही बनकर तैयार है;		आंशिक स्वीकारात्मक । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लादना के नवनिर्मित भवन से वहाँ की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संचालन नए भवन में कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 11 / 16– 155 (6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 667 / वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016

सरकार के उप सचिव ।

Q49

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 49 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत पदमा प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमा एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, चम्पाडीह का निर्माण कार्य अधूरा है;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः पदमा प्रखण्ड के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्पाडीह का भवन निर्माणाधीन है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराना जनहित में अति आवश्यक है;		स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदमा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्पाडीह के भवन निर्माण की योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा कराया जा रहा था । निर्माण कार्य कई वर्षो से बन्द है । इस बीच शेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त किया गया है, जिसपर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 15 / 16– 150(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 756 / वि0स0, दिनांक– 14.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016

सरकार के उप सचिव ।

250

श्री ढुलू महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 46 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा क्षेत्र में 61 पंचायत तथा बडा नगर निगम का क्षेत्र है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि काफी बडी आबादी के वाबजूद मात्र 18 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है जिससे बहुत बडी आबादी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है, और ईलाज के लिए प्रखण्ड अथवा जिला मुख्यालय जाना पडता है ;		आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बाघमारा प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–01, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–04, स्वास्थ्य उपकेन्द्र–18 कार्यरत है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नही तो क्यों ?		उपर्युक्त के अलावे फूलारीटॉड, राजगंज (बाघमारा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चन्दौर, लोहपटटी एवं पत्थरगाडिया में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण की योजना स्वीकृति गई है। निर्माण कार्य प्रकियाधीन है। आई0पी0एच0एस0 मानक एवं बजट में राशि की उपलब्धता के आलोक में शेष स्थानो पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 17/16– 154(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 755/वि0स0, दिनांक– 14.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

251

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा०– 22 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड प्रदेश में नये सर्वे के अधिएकापन के बाद ग्रामीणों को रसीद कटवाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि नये खतियान एवं पूराने खतियान में विसंगति के कारण जमीन की रजिस्ट्री कई जिलों में प्रभावित हुई है, जिससे सरकार का राजस्व में क्षति हो रही है, साथ ही जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?	अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करना चाहती है, यदि, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान मे विभाग में इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं है। सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–2/भू0अ0परि0निदे0–10/16 – 93/रा० दिनांक–18-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–702 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

18/02/2016

सरकार के उप सचिव

255 18.2.16 (252)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–13 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड भवनाथपुर में झगड़ाखाड़ एवं प्रखंड नगरउटारी में आई0टी0आई0 कॉलेज वर्षो से बनकर तैयार है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनो आई0टी0आई0 कॉलेजों में अभी तक पढाई प्रारंभ नहीं हुई है जिसके चलते क्षेत्र के आई0टी0आई0 छात्र एवं छात्राओं को शिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोनों आई0टी0आई0 कॉलेजों में शिक्षण सत्र प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य मंत्रिमंडल के आदेश के आलोक में राज्य में नवनिर्मित सभी संस्थानों का संचालन पी0पी0पी0 मोड में किया जाना था परन्तु पॉच चरणों की निविदा के उपरांत भी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित आई0टी0आई0, झगड़ाटॉड़ के लिए कोई प्रतिष्ठान का निविदा प्राप्त नहीं हुआ। औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, झगड़ाटॉड को सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा। आई0टी0आई, नगरउटारी के लिए पी0पी0पी0 के अन्तर्गत निविदा के क्रम में रामचन्द्र चन्द्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट को चयनित किया गया है। चयनित प्रतिष्ठान को L.O.I निर्गत किया गया है परन्तु MoU की प्रकिया की जा रही है।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-05/2016- 255 रॉची, दिनांक :- 18.2.16

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0-356 दिनांक-11.02.2016 के प्रसंग में 200 चक्चालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

253

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 24 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि खरसावॉ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन काफी जर्जर अवस्था में है;		आंशिक स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन के जर्जर होने के कारण यह स्वास्थ्य केन्द्र निजी भवन में संचालित हो रहा है;		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरसावॉ खरसावॉ महाराजा द्वारा दान में दिये गए भवन में संचालित किया जा रहा है । यह केन्द्र निजी भवन में संचालित नहीं रहा है । भवन काफी पुराना है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के लिए नए भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		बजट में राशि की उपलब्धता के अनुरुप अगले वित्तीय वर्ष में नए भवन के निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 13 / 16– 149 (6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 712 / वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016

सरकार के उप सचिव ।

श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–19.02.2016 को 254 पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–24 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत बोरियो प्रखण्ड के बोरियो बाजार में हटिया के पास, मंडरो प्रखण्ड के प्रखण्ड परिसर में बने डाकबंगला एवं गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखण्ड अन्तर्गत सिमड़ा डाकबंगला परगनैत के राजस्व संग्रह एवं स्वशासी प्रशासन का केन्द्र था ?		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित तीनों स्थानों के अंग्रेज जमाने में बने डाकबंगला जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, जिससे परगनैत समेत अन्य सरकारी कार्यों के लिए स्थान नहीं होने के कारण कार्य करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;		स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित अंग्रेज जमाने के चिन्हित जीर्ण–शीर्ण डाकबंगलों का जीर्णोधार/पुर्ननिर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वित्तीय वर्ष 2016–17 में तीनों डाकबंगला का मरम्मति करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–10/वि0स0 (तारां0 प्र0)–20/16.....590.....(10)/रा0, राँची, दिनांक– 18.02.16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–696/वि0स0, दिनांक–12.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.2.16

सरकार के संयुक्त सचिव

255

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीया स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स0– 32 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि पहले राँची के सदर अस्पताल को पी0पी0पी0 मोड में संचालित करने की योजना सरकार की थी और अब इसे अपने स्तर से चलाने की योजना है;		स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अबतक उक्त मामले का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण सदर अस्पताल के संचालन संबंधी योजना बाधित है;		स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सदर अस्पताल के संचालन के संबंध में निर्णय लेने का विचार करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		500 शय्यावाले अस्पताल का संचालन पी0पी0पी0 मोड पर करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया था, फलस्वरुप सरकार द्वारा इसे अपने स्तर से संचालित करने हेतु मंत्रिपरिषद का निर्णय अपेक्षित है, जो प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 05 / 16– 151(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 660 / वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

256

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 28 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगाा जिला अन्तर्गत बानो प्रखण्ड के हुरदा ग्राम में 50 बेड का अस्पताल निर्माणाधीन है,		अस्वीकारात्मक । सिमडेगा जिलान्तर्गत बानो प्रखंड के हुरदा ग्राम में विभागीय ज्ञापांक–49(3)ब दि0–26.6.2007 द्वारा रू0 1,02,08,000/–की लागत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में घटिया निर्माण सामग्री लगने के कारण अस्पताल जर्जर अवस्था में है तथा विभाग को सुपूर्द किये बिना वहॉ चिकित्सक नियुक्त कर दिया गया है,		अस्वीकारात्मक । निर्माण कार्य अधूरा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक कार्यरत नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घटिया निर्माण करने वाले संवेदक तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों?		वस्तुस्थिति यह है कि उक्त योजना उपायुक्त के माध्यम से चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा के माध्यम से विभागीय स्तर पर कराया जा रहा था। विभागीय रूप से कराने पर रोक लगने के बाद से निर्माण कार्य बन्द है। जहॉ तक घटिया निर्माण का प्रश्न है, विभागीय पत्रांक– 156(6) दिनांक–17.02.16 द्वारा उपायुक्त से प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 04/16– 163(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 655/वि0स0, दिनांक– 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

248 18-2-16 257

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –19 का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला के बरकट्ठा एवं ईचाक प्रखण्ड तथा कोडरमा जिला के जयनगर प्रखण्ड में आई0टी0आई0 (I.T.I.) प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। जिस कारण छात्र–छात्राओं को शिक्षण से वंचित रहना पड़ रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारत्मक है।
2	क्या यह बात रही है कि उपरोक्त क्षेत्रान्तर्गत कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (K.Y.P.S.) बांझेडीह अवस्थिति है, जिस कारण यहाँ रोजगार की काफी संभावनायें हैं।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरकट्ठा प्रखण्ड अन्तर्गत आई0 टी0 आई0 (I.T.I.) प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिला के ईचाक प्रखंड में 13वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में एक आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कराया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष –2016–17 में हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड एवं कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण राशि की उपलब्धता रहने पर सरकार विचार करेगी।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0–(विधानसभा)–15/2016– 248 रॉची, दिनांक :– 18/02/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–708 दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में 200 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

258

श्री राज सिन्हा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्र0सं0 स– 51 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले के छात्राओं के लिए सिर्फ एक छात्रावास है;		अस्वीकारात्मक । पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविधालय, धनबाद में कुल 3 महिला छात्रावास है । इनमें एक का निर्माण महाविघालय निर्माण के समय हुआ है। दूसरे छात्रावास का निर्माण 2002 में किया गया है, तथा तीसरे छात्रावास 2013 में हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास की मरम्मती विगत पाँच वर्षो से नहीं हुई है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास में एक कमरे में पाँच–पाँच छात्राओं को रखा जाता है;		एक छात्रावास जर्जर हो जाने के कारण शेष दो छात्रावासों के कुछ कमरे में तीन– तीन छात्राओं को रखा गया है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो सरकार उक्त छात्रावास की मरम्मती कराने तथा एक नए छात्रावास का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		जर्जर छात्रावास की विशेष मरम्मति/जीर्णोद्धार का प्राक्कलन तकनीकी अनुमादन के उपरांत विभागीय अभियंत्रण कोषांग से प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0प्र0)– 16/16– 152 (6) स्वा0, राँची, दिनांकः 17.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 753/वि0स0, दिनांक– 14.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/2016
सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

259

माननीय स.वि.स. श्री ढुलू महतो द्वारा दिनांक 19.02.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्रनि0 – 22 का उत्तर सामग्री

क्र.सं.	प्रश्नकर्त्ता माननीय स.वि.स. श्री ढुलू महतो	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में एक भी वृतिमूलक अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" का पायलट चरण, राज्य के सभी जिले में प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common Norms के अनुरूप NSQF (National Skill Qualification Framework) आधारित रोजगारपरक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसी क्रम में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" के पायलट चरण के तहत धनबाद जिले के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विहित प्रक्रिया के द्वारा चयनित एजेंसी (प्रशिक्षण सेवा प्रदाता) ICA Edu Skills के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र (BFSI Sector) में 75 तथा रिटेल क्षेत्र (Retail Sector) में 75 प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र उक्त जिलान्तर्गत आता है।
2.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में व्यवसायिक अथवा वृतिमूलक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होने से क्षेत्र में अकुशल बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति उत्तर खण्ड – 01 में स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में कौशल विकास योजना के तहत् एक स्थाई वृतिमूलक अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलने से युवा प्रशिक्षित होगें एवं बेरोजगारी में भारी कमी आएगी;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति उत्तर खण्ड – 01 में स्पष्ट कर दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्षेत्र में स्थाई वृतिमूलक/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उत्तर खण्ड – 01 में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : झा0कौ0वि0मि0/विस (ता.प्र.)–260/2016– 182 राँची/दिनांक 18/2/2016

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 757 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के अनुपालन में (200 प्रतियों में)/अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

260 244 18.2.16

श्री योगेश्वर महतो, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–04 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री योगेश्वर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला का बेरमो प्रखंड में एक भी आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं है, जबकि यह प्रखंड औधोगिक प्रखंड के रूप में जाना जाता है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आई0टी0आई0 प्रतिष्ठानों के संचालन के अभाव में यहाँ से शिक्षित युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेरमों प्रखंड में आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	नवनिर्मित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेरमो को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत संचालन हेतु टेक्नो इंडिया को हस्तगत कराया गया है, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित समय पर प्रशिक्षण शुरू नहीं किये जाने के लिए कारण पृच्छा किया गया है। औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेरमो को सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाएगा।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, राँची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–06/2016– 244 राँची, दिनांक :– 18/02/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–361 दिनांक–11.02.2016 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, राँची।